

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी:- डॉ० अरुण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 333/2025

विक्रम सिंह, निवासी गोदारों का बास, बडापाना तन भौडकी, तहसील गुढागौडजी, जिला झुंझुनू पिन कोड 333032,
मो०न० 9784500632

बनाम


लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) गुढागौडजी।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 28.08.2025

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 11.08.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 333/2025 पर दिनांक 11.08.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) गुढागौडजी के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) गुढागौडजी को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) गुढागौडजी से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2025/3781-82 दिनांक 11.08.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) गुढागौडजी ने पत्रांक आरटीआई/2025/683 दिनांक 26.08.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री विक्रम सिंह, निवासी गोदारों का बास, बडापाना तन भौडकी, तहसील गुढागौडजी, जिला झुंझुनू द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ऑनलाईन सूचना चाही गई थी। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय के पत्रांक सू०अ०अ०/2025/409 दिनांक 17.06.2025 के द्वारा ऑनलाईन एवं जरिये रजिस्टर्ड डाक के उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) गुढागौडजी द्वारा पत्रांक आरटीआई/2025/683 दिनांक 26.08.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री विक्रम सिंह, निवासी गोदारों का बास, बडापाना तन भौडकी, तहसील गुढागौडजी, जिला झुंझुनू द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ऑनलाईन सूचना चाही गई थी। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय के पत्रांक सू०अ०अ०/2025/409 दिनांक 17.06.2025 के द्वारा ऑनलाईन एवं जरिये रजिस्टर्ड डाक के उपलब्ध करवा दी गई है। चूंकि बिन्दू सं० 1 लगायत 3 के क्रम में उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी एवं तहसीलदार, उदयपुरवाटी द्वारा सूचना सं० 1 लगायत 3 के क्रम में उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि बिन्दू सं० 1 लगायत 3 के क्रम में उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी एवं तहसीलदार, उदयपुरवाटी प्रार्थी को 7 दिवस में नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्त सूचनाओं में जो सूचना पटवारी हल्का भौडकी से संबंधित है, वह सूचना भी तहसीलदार पटवारी हल्का भौडकी से सूचना प्राप्त कर प्रार्थी को उपलब्ध करावे।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयवाधि में कर सकते हैं।
आदेश आज दिनांक 28.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(डॉ० अरुण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलक्टर झुंझुनू